E-ISSN No: 2456-6713 Print ISSN No: 3048-6459

International Educational Applied Research Journal

Peer-Reviewed Journal-Equivalent to UGC Approved Journal

A Multi-Disciplinary Research Journal

जनजातीय महिला सशक्तिकरण और उसका प्रभाव
(शिवपुरी जिले की सहरिया जनजाति के विशेष सन्दर्भ में)

श्रीमती पूनम सोनी

शोधार्थी भूगोल, जीवाजी विश्वविद्यालय

डॉ. साधना तोमर

प्राध्यापक,समाज शास्त्र

शा. ब्ही. आर.जी.महाविद्यालय,मुरार

Paper Rcevied date

05/05/2025

Paper date Publishing Date

10/05/2025

DOI

IMPACT FACTOR 5.924

ABSTRACT

सभ्यता के आरंभ में नर और नारी में कोई भेद नहीं था, पूर्व वैदिक काल में परिवार मातृसत्तात्मकता होते थे जिसमें नारी को विशेष धार्मिक ,सामाजिक ,राजनीतिक, आर्थिक सभी अधिकार प्राप्त थे, धन की देवी लक्ष्मी, ज्ञान की देवी सरस्वती, शक्ति की देवी दुर्गा इन तीनों शक्तियों में परिपूर्ण भारतीय नारी की छवि थी, तभी वह देवी के रूप में पूजी गईं। पुराणों में तथा अन्य प्राचीन ग्रंथों में देवता भी शक्ति की उपासना करते थे ऐसा उल्लेख मिलता है।

ऐतिहासिक अभिलेखों के अनुसार भारत की प्राचीन सिंधु घाटी सभ्यता में देवी की पूजा की जाती थी इससे स्पष्ट होता है कि उस काल में मातृ देवी का आदर किया जाता था ऐसा कहा जाता है कि ऋग्वैदिक युग में महिलाओं की स्थिति को सम्मानित और उच्च स्थिति को मान्यता दी गई थी, विशेषकर जब धार्मिक गतिविधियों, यज्ञ आदि को करने में महिलाओं की भूमिका स्पष्ट रुप से देखी जाती है।

वैदिक काल में अधिकारों की दृष्टि से नारी को उच्च स्थान प्राप्त था पूर्व वैदिक काल की तरह सर्वाधिक संपन्न न होकर अधिकांश मामलों में वह पुरुषों के बराबर अधिकार की अधिकारणी थी ब्रह्मज्ञान ग्रहण करने में उन पर कोई पाबंदी नहीं थी वे भी ब्रह्मचर्य का पूरी तरह से पालन करती थीं ऋग्वेद में स्त्रियां ब्रह्मवादिनी एवं मंत्रदृष्टा के रुप में जानी गई हैं। लोपा, मुद्रा, आपला ,इंद्राणी, घोषा, विश्वश्वारा आदि विदुषी महिलाओं का उल्लेख प्राप्त होता है।

अमोहम सा त्वं सा त्वमीस अमोहम समाध्य असिम ऋक चौरह पृथ्वी त्वं [1]।

अर्थात मैं यह हूं तू यह है तू वह है मैं यह हूं मैं सांस हूं तू ऋक है मैं अंतरिक्ष हूं तू पृथ्वी

महिला सशक्तिकरण का तात्पर्य

महिला सशक्तिकरण का अर्थ महिलाओं को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, और व्यक्तिगत स्तर पर सशक्त बनाना है इसका मकसद महिलाओं को अपने जीवन के सभी क्षेत्रों में पुरुषों के बराबर अधिकार, स्थिति, और शक्ति देना है। इसके माध्यम से

E-ISSN No: 2456-6713 Print ISSN No: 3048-6459

International Educational Applied Research Journal

Peer-Reviewed Journal-Equivalent to UGC Approved Journal

A Multi-Disciplinary Research Journal

महिलाएं अपने जीवन से जुड़े फैसले खुद ले सकती हैं, महिलाएं अपने जीवन की चुनौतियों का सामना कर सकती हैं, महिलाओं में आत्म–सम्मान की भावना बढ़ती है, महिलाएं अपने अधिकारों के लिए लड़ती हैं और समाज में बदलाव लाती हैं, महिलाओं की क्षमता का उजागरा होता है, समाज में लैंगिक समानता आती है, समाज और देश का विकास होता है।

महिला सशक्तिकरण वास्तविक अर्थों में महिला को इस योग्य बनाना है कि वे अपनी बुद्धिमता अपनी सुविधाओं और अपनी योग्यताओं एवं क्षमताओं को पहचान सके और अपने अन्दर की ऊर्जा को पहचानने विचार, कथन और कार्य करने की आजादी के साथ–साथ अपनी निजी जिन्दगी के प्रत्येक क्षेत्र को स्वयं की शक्ति के द्वारा संचालित कर सके। महिला सशक्तिकरण का अर्थ मात्र उन्हें अपनी क्षमताओं के प्रति जागरूक करना नहीं वरन उन्हें अवसर, सुविधा, आंतरिक एवं बाहरी वातावरण उपलब्ध कराने से है जिससे कि वे अपने अंदर आत्मविश्वास, आत्मबल ,सामाजिक ,आर्थिक आत्मनिर्भरता का विकास कर सके और साथ ही साथ अन्याय, प्रताड़ना और अपने ऊपर हो रही है हिंसा के विरुद्ध आवाज उठाने की योग्यता को विकसित कर सके।[2]

महिलाओ को सशक्त बनाने के तारतम्य में संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा वर्ष 2001 को महिला अधिकारिता वर्ष के रूप में मनाया गया, सरकार ने वर्ष 2001 को महिला सशक्तिकरण वर्ष घोषित किया और महिलाओं को स्वशक्ति प्रदान करने की राष्ट्रीय नीति अपनाई। महिला सशक्तिकरण की शुरुआत संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा 8 मार्च 1975 को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस से मानी जाती है महिला सशक्तिकरण की पहल 1985 में महिला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन नैरोबी में की गई।

इस क्रम में महिलाओं को शिक्षा का अधिकार, महिला शिक्षा कार्यक्रम की शुरुआत वर्ष 1989 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के लक्षण के अनुसार महिलाओं की शिक्षा में सुधार व उन्हें सशक्त करने हेतु की गई थी। सन 1970–1980 के दशकों में महिलाओं के अधिकारों के लिये और उनकी दयनीय स्थिति जैसी समस्याओं के परिणाम स्वरुप **अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस** ,अंतर्राष्ट्रीय महिला वर्ष, महिलाओं के बारे में सभाएं, संगोष्ठियों के माध्यम से महिलाओं की स्थिति पर अध्ययन किए गए हैं भारत सरकार ने वर्ष 1971 में एक समिति गठित की जिसने 1974 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की।

वैधानिक प्रावधान व कानून – महिलाओं को सशक्त बनाने के लिये भारत सरकार ने कानून मे बहुत से प्रावधान किये है, जैसे– लड़की का विवाह उसके युवा होने के पूर्व ही कर देने को नियंत्रित करने के लिए सन 1929 में शारदा एक्ट बनाया गया इसमें विवाह की आयु 15 वर्ष रखी गई थी वर्ष 1974 में इस अधिनियम में संशोधन करते हुए लड़की की आयु 18 वर्ष कर दी गई। इसी प्रकार दहेज निषेध अधिनियम 1961 में पारित हुआ सन 1984 में 1986 में इसे पुनः संशोधित किया गया ताकि यह कानून अधिक शक्तिशाली बन पाएं। वर्ष 1961 में प्रसूति सुविधा अधिनियम गर्भवती माता को प्रसूति के लिए छुट्टी का प्रावधान करता है कुछ समय पूर्व माता की इस छुट्टी में वृद्धि की गई अधिनियम 1961 के तहत मां बनने पर बच्चों की देखभाल के लिए महिलाओं को पूर्ण वेतन के साथ 6 सप्ताह अवकाश का प्रावधान किया गया है। 2016 में संशोधन करके मातृत्व लाभ की सुविधा 12 सप्ताह से बढ़कर 26 सप्ताह, दो से अधिक बच्चों के लिए एवं एडाप्टिंग मदर के लिए 12 सप्ताह के अवकाश का प्रावधान किया गया।

E-ISSN No: 2456-6713 Print ISSN No: 3048-6459

International Educational Applied Research Journal

Peer-Reviewed Journal-Equivalent to UGC Approved Journal

A Multi-Disciplinary Research Journal

मुख्यमंत्री महिला सशक्तिकरण योजना –सितंबर 2013 से संपूर्ण मध्य प्रदेश में लागू की गई योजना है इस योजना के अंतर्गत विपत्ति ग्रस्त पीड़ित और कठिन परिस्थिति में निवास कर रही उन्हें सभी महिलाओं की आर्थिक एवं सामाजिक उन्नयन हेतु स्थाई प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा ताकि वह रोजगार प्राप्त कर सके।

वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार से शिवपुरी जिले की कुल आबादी 17 लाख 26 हजार 50 है जिसमें 2,27,802 अनुसूचित जनजाति निवास करते हैं जिसमें महिला सहरिया आदिवासी की कुल संख्या 1,11,721 है। मध्यप्रदेश सरकार द्वारा सहरियाओं के उन्नयन हेतु विभिन्न योजनाऐं चलाई जा रही है। ताकि सहरिया महिलाओं को सशक्त वनाया जा सके। इस हेतु चलाई जा रही कल्याणकारी योजनाऐं इस प्रकार है।

महिला सशक्तिकरण हेतु कल्याणकारी योजनाएं –

(1) जननी सुरक्षा योजना– जननी सुरक्षा योजना के अंतर्गत महिलाओं को संस्थागत प्रसव कराने पर शहरी क्षेत्र में निवास करने वाली महिलाओं को 1000 रु और ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करने वाली महिलाओं को 1400 रु की राशि प्रदान की जाती है।

(2)लाड़ली लक्ष्मी योजना – बालिका के जन्म के प्रति जनता में सकारात्मक सोच विकसित करना इस योजना का उद्देश्य है लिंगानुपात में सुधार, बालिकाओं की शैक्षणिक स्तर तथा स्वास्थ्य की स्थिति में सुधार और उनके भविष्य की आधारशिला रखने के उद्देश्य से मध्यप्रदेश में 1 अप्रैल 2007 से लाडली लक्ष्मी योजना लागू की गई। 2007 से 2022 तक इस योजना के कारण लड़कियों की जन्म दर में वृद्धि और साक्षरता के लिए जागरूकता देखने को मिलती है।

(3) कन्या साक्षरता प्रोत्साहन योजना –अनुसूचित जनजाति की ऐसी कन्याएं जो कक्षा 6, 9 एवं 11 में प्रवेश लेती हैं तो उनको प्रवेश लेने पर क्रमशः ₹500 ₹1000 ₹2000 प्रति वर्ष की दर से राशि दी जाती है यह राशि छात्रवृत्ति के अतिरिक्त होती है। इसका उद्देश्य– अनुसूचित जनजाति की कन्याओं को निरंतर शिक्षा जारी रखने हेतु आर्थिक रूप से प्रोत्साहन करना पात्रता राष्ट्रीय शासकीय एवं मान्यता प्राप्त शासकीय संस्था में कक्षा 6 ,9 एवं 11 में अध्यनरत अनुसूचित जनजाति की ऐसी छात्राएं जो नियमित रूप से अध्यनरत करती हैं।

(4) निशुल्क गणवेश (अध्यनरत सामग्री) प्रदाय योजना–मध्य प्रदेश में अनुसूचित जनजाति वर्ग की बालिकाओं की शैक्षणिक गुणवत्ता में सुधार हेतु प्रतिवर्ष सर्व शिक्षा अभियान एन.पी.ई.जी.सी.एल. योजना के अंतर्गत राजीव गांधी मिशन द्वारा गणवेश प्रदाय योजना में शासकीय शालाओं में दर्ज कक्षा 1 से 8 तक अध्यनरत अनुसूचित जनजाति वर्ग की बालिकाओं को अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग द्वारा निशुल्क गणवेश प्रदाय किया जाता है।

(5) निशुल्क साइकिल प्रदाय योजना– इस योजना में अनुसूचित जनजाति कन्या साक्षरता प्रोत्साहन के उद्देश्य से कक्षा 9वी में अध्यनरत पात्र बालिकाओं को निशुल्क साइकिल प्रदान की जाती है। कक्षा 8वी उत्तीर्ण करने के बाद कक्षा 9वी में प्रवेश करने वाली पात्र अनुसूचित जनजाति वर्ग की ऐसी बालिकाओं को जो कि स्वयं की ग्राम में शासकीय शाला न होने की स्थिति में

E-ISSN No: 2456-6713 Print ISSN No: 3048-6459

International Educational Applied Research Journal

Peer-Reviewed Journal-Equivalent to UGC Approved Journal

A Multi-Disciplinary Research Journal

अन्य ग्राम की शाला में प्रवेश लेंगी वे निशुल्क साइकिल प्राप्त करने की पात्र समझी जाती है एक बालिका को एक ही बार साइकिल की पात्रता होती है।

(6) **पोषण आहार योजना** – शिवपुरी जिले में 23 दिसंबर 2017 से विशेष पिछड़ी सहरिया जनजाति कुपोषित होने के कारण उनके समुदाय के लिए पोषण आहार योजना संचालित की जा रही है जिसके तहत उनके परिवार की महिला मुखिया को साग, सब्जी, दूध आदि पौष्टिक आहार के लिए महिला को 1500 रुपए प्रतिमाह बैंक खाते के माध्यम से प्रदान कर 55188 परिवारों को लाभान्वित किया जा रहा है।[3] शिवपुरी जिले की निम्न विकासखंडों में सहरिया महिला को 2442 आंगनबाड़ियों में पोषण आहार योजना के तहत उनको सब्जी दूध आदि पौष्टिक आहार के लिए प्रतिमा है ₹1500 प्रदान किए जाते हैं।[4]

कमांक	विकासखण्ड	आंगनवाडी की संख्या
1	पोहरी	332
2	खनियाधाना	367
3	बदरवास	243
4	कोलारस	287
5	शिवपुरी ग्रामीण	249
6	पिछोर	325
7	करेरा	264
8	नरवर	247
9	शिवपुरी	128

E-ISSN No: 2456-6713 Print ISSN No: 3048-6459

International Educational Applied Research Journal

Peer-Reviewed Journal-Equivalent to UGC Approved Journal

A Multi-Disciplinary Research Journal

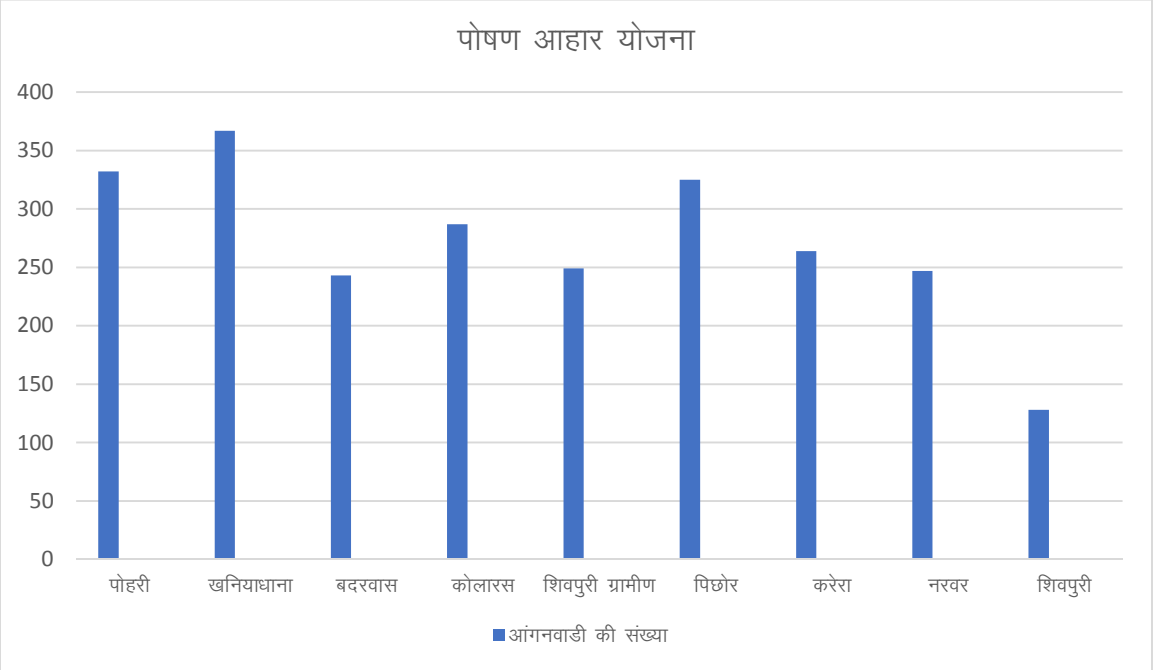

(7) दीदी बहन सेवा योजना – इसका प्रारंभ मई 2020 से किया गया मध्य प्रदेश की आदिवासी बाहुल जनसंख्या वाले झाबुआ जिले में ग्रामीण अजीविका मिशन की महिलाओं द्वारा दीदी वहन सेवा का प्रारंभ किया गया दीदी वहन ग्रामीण महिलाओं के लिए सुरक्षित प्रसव के लिए शुरू की गई है जो आदिवासी क्षेत्रों में गर्भवती ग्रामीण महिलाओं के लिए एक जीवन रेखा साबित हो सकती है इसके अलावा दीदी वहन सेवा की अंतर्गत वहां अन्य आपातकालीन सेवाओं के लिए भी उपलब्ध रहेंगे। केंद्र सरकार ने शिवपुरी जिले की सहरिया आदिवासियों के हेल्थ पर विशेष ध्यान देते हुये इस क्रम में सहरिया आदिवासियों के स्वास्थ्य देखभाल के लिए पी.एम.जनमन योजना के तहत 10 मोबाइल मेडिकल मोबाइल यूनिट एंबुलेंस की शुरुआत की गई है यह यूनिट गांव गांव जाकर 186 गांव में सहरिया आदिवासियों के घर तक एम्बुलेंस सुविधा उपलब्ध कराई है। जो आदिवासी समाज की महिलाओं बच्चों को उपचार मुहैया करा रही है।

सहरिया जनजाति के लोग प्रायः झाड फूंक और तंत्र मंत्र में विस्वास करते है और विभिन्न बीमारियों का चपेट में आकर समय पर उपचार न करने के कारण अच्छी स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ नहीं ले पाते जिससे सहरिया मृत्यु दर में कोई कमी नहीं आ रही है। इसके अलावा सहरिया समाज में अभी भी गांव के कम पढ़े डॉक्टर (झोला छाप) के पास जाकर सेहत को बिगाड़ते हैं इस कारण गंभीर बीमारियों की शुरुआत में ही स्क्रीनिंग नहीं हो पाती है इसी को ध्यान में रख कर भारत सरकार ने शिवपुरी जिले के सहरिया बाहुल्य 186 गांव में आदिवासियों के घर तक पहुंचकर उन्हें वहां उपचार देने के लिए प्रधानमंत्री जनजाति न्याय महाअभियान योजना तैयार की गई है।

E-ISSN No: 2456-6713 Print ISSN No: 3048-6459

International Educational Applied Research Journal

Peer-Reviewed Journal-Equivalent to UGC Approved Journal

A Multi-Disciplinary Research Journal

(8) मोबाइल मेडिकल यूनिट – शिवपुरी जिले में 10 मोबाइल मेडिकल यूनिट को स्वीकृति दी गयी है यह यूनिट गांव गांव जाकर सहरिया जनजातीय समाज का उपचार कराएगी। इन मोबाइल यूनिट का संचालन राज्य स्तर से सांईराम टेक्नो मैनेजमेंट सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड द्वारा किया जाएगा जिससे जिले भर में इन मोबाइल यूनिट का शुभारंभ किया गया है। शिवपुरी जिले के कोलारस, बदरवास, पिछोर, पोहरी और करैरा में विधायकों सहित अन्य जनप्रतिनिधियों ने इन मोबाइल मेडिकल यूनिट को हरी झंडी दिखाकर उन्हें अपनी–अपनी क्षेत्र में काम करने के लिए रवाना कर दिया गया है।[5]

(9) मुख्यमंत्री दुधारू गाय प्रदाय योजना– इस योजना के तहत सहरिया आदिवासी महिलाओं को दुधारू भैंस और गाय प्रदान की जा रही हैं. शिवपुरी जिले में इस योजना की शुरुआत हो गई है. विशेष पिछड़ी जनजाति जैस बैगा के साथ सहरिया और भारिया जनजाति को इसका लाभ दिया जा रहा है. अभी तक 140 हितग्राहियों को चिन्हित किया गया है और इसमें से 98 आदिवासी परिवारों को भैंस व गाय दे दी गई हैं. योजना के तहत सहरिया आदिवासियों को चिन्हित करके इसका लाभ दिलाया जा रहा है.।[6]

शिवपुरी में जिला स्तर पर भी विभाग द्वारा जनजातीय वर्ग की बालिकाओं के शैक्षणिक विकास के लिए विशेष रूप से विशिष्ट संस्थान आदिवासी कन्या शिक्षक परिसर शिवपुरी जिले में जिला मुख्यालय पर संचालित की जा रही है जिसमें 490 सीट स्वीकृत है और वर्तमान में 257 बालिकाओं को प्रवेश दिया है। जिसमें निशुल्क अध्ययन, आवास, भोजन एवं अन्य आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं जिससे आदिवासी बालिकाओं को लाभ प्राप्त हो रहा है।[7]

(10) शौर्य दल योजना – महिलाओं के प्रति हो रही हिंसा, अपराध को रोकने के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने महिलाओं एवं बालिकाओं के विरुद्ध हिंसा अपराध उत्पीड़न यौन शोषण की घटनाओं पर अंकुश लगाने या समाप्त करने के लिए राज्य सरकार ने सौर दल योजना को प्रारंभ किया है। मध्य प्रदेश में कुल 20204 शौर्य दलों का गठन किया गया है।[8]

•शौर्य दल योजना के अंतर्गत महिलाओं को आत्मरक्षा, प्रशिक्षण के अलावा प्राथमिक चिकित्सा, कानूनी जागरूकता और वित्तीय–सहायता, साक्षरता पर प्रशिक्षण दिया जाता है।

•योजना के तहत महिलाओं को स्वरोजगार स्थापित करने के लिए विभिन्न योजनाओं की जानकारी दी जाती है।

मध्य प्रदेश तेजस्विनी ग्रामीण महिला सशक्तिकरण योजना –इस योजना की शुरुआत मध्य प्रदेश सरकार द्वारा 2006–07 में की गई थी इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं को सामाजिक और आर्थिक रूप से सशक्त बनाना है इस योजना के अंतर्गत विभिन्न कौशल विकास कार्यक्रमों वित्तीय सहायता और रोजगार के अवसरों के माध्यम से महिला को सशक्त बनाना है जिसमें कौशल विकास के अंतर्गत महिलाओं को सिलाई कढ़ाई बुनाई सौंदर्य प्रसाधन खाद्य प्रसंस्करण और मधुमक्खी पालन जैसे विभिन्न प्रकार के कौशलों में प्रशिक्षित किया जाना है।

वित्तीय सहायता के अंतर्गत महिलाओं को स्वयं सहायता समूह बनाने और उन्हें सूक्ष्म–फाइनेंस ऋण दिलाने में सहायता करना है और रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए विभिन्न उद्यमिता विकास कार्यक्रम चलाऐ जाना है और जागरूकता अभियान

E-ISSN No: 2456-6713 Print ISSN No: 3048-6459

International Educational Applied Research Journal

Peer-Reviewed Journal-Equivalent to UGC Approved Journal

A Multi-Disciplinary Research Journal

के अंतर्गत महिलाओं को उनके अधिकार प्रदान करने के लिए अधिकारों ,कानून, सरकारी योजनाओं के बारे में जागरूक करना है। वर्तमान में शिवपुरी की सहरिया आदिवासी महिलाओं के लिये अनेक नवीन आयाम जोडे है। जैसे राष्ट्रपति भवन दिल्ली में स्थित अमृत उद्यान घूमेगी सहरिया जनजाति की महिलायें। सहरिया आदिवासियों के इस दल में 100 महिलाएं शामिल है जो राष्ट्रपति भवन दिल्ली में स्थित अमृत उद्यान घूमेगी, मध्य प्रदेश ग्रामीण आजीविका मिशन के जिला प्रबंधक अरविंद भार्गव ने बताया कि इस दल में 100 सहरिया आदिवासी महिलाएं शामिल है जो मध्य प्रदेश ग्रामीण आजीविका मिशन की विभिन्न गतिविधियों से जुड़ी हुई है और रोजगारमूलक कार्यों में जुड़े समूह का संचालन कर रही है।[9]

निष्कर्ष – जनजाति समाज में महिलाओं की स्थितियां गंभीर मानी जाती है जहां एक ओर वह पुरुषों के साथ कंधा से कंधा मिलाकर कृषि कार्य एवं अन्य मजदूरी के कार्य कर रही है। किन्तु शिक्षा के अभाव और आर्थिक तंगी के चलते उनके सामजिक जीवन और स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। भारत सरकार एवं मध्य प्रदेश सरकार ने इन जनजाति महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए विभिन्न प्रकार की योजनाएं संचालित की हैं जिससे जनजातीय महिलाओं को आगे बढ़ाने के अवसर प्रदान किया जा सके। और वे अपनी सामाजिक एवं आर्थिक आत्मनिर्भरता के साथ आगे बढ़ सके। मध्य प्रदेश में सितंबर 2013 में मुख्यमंत्री महिला सशक्तिकरण योजना प्रारंभ की गई जिसका प्रमुख उद्देश्य महिलाओं को सशक्त बनाना था, शिवपुरी जिले की 227802 जनजातीय जनसंख्या में से 111721 महिलाएं हैं जो विभिन्न प्रकार के कार्य कर आजीविका चल रही है एवं सहरिया परिवारों को देख रहीं हैं, इन्ही महिलाओं को ध्यान में रखते हुए मध्य प्रदेश सरकार की जननी सुरक्षा योजना, लाड़ली लक्ष्मी योजना, कन्या साक्षरता प्रोत्साहन योजना, निशुल्क गणेश प्रदाय योजना, निशुल्क साइकिल प्रदाय योजना, पोषण आहार योजना, दीदी बहन सेवा योजना, मोबाइल मेडिकल यूनिट, मुख्यमंत्री दुधारू गाय प्रदाय योजना, शौर्य दल योजना, आदि योजनाओं के माध्यम से शिवपुरी की सहरिया जनजाति की महिलाओं को स्वरोजगार स्थापित करने अथवा उन्हें आर्थिक सहायता प्रदान कर सशक्त करने का कार्य किया जा रहा है जिससे वर्तमान में सहरिया जनजाति की महिलाएं अपनी शिक्षा के साथ–साथ नवीन क्षेत्र में पदार्पण करने लगी है उन्हें सिलाई, कढ़ाई, बुनाई, सौंदर्य प्रसाधन, खाद्य प्रसंस्करण और मधुमक्खी पालन जैसे विभिन्न प्रकार के कौशलों में प्रशिक्षित किया जा रहा है, साथ ही उन्हें आत्मरक्षा प्रशिक्षण और शिक्षा स्वास्थ्य संबंधी जैसी बुनियादी सुविधाओं को प्रदान किया जा रहा है। पोषण आहार योजना के अंतर्गत 55188 सहरिया परिवारों को चिन्हित किया गया है और उन्हें प्रति माह ₹1500 बैंक खाते में जमा किया जाता है ताकि वह अपने परिवार का भरण पोषण आसानी से कर सके।

संदर्भ सूची –

1. विश्वकर्मा, ईश्वर चरण (संपादक) भारतीय संस्कृति, नई अखिल भारतीय इतिहास संकलन योजना नई दिल्ली, 2018 पुस्तक डॉक्टर हंसा व्यास
2. U.N.D.P. (संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम)
3. आदिम जाति कल्याण विभाग, जिला शिवपुरी से प्राप्त जानकारी के आधार पर
4. आदिम जाति कल्याण विभाग, जिला शिवपुरी से प्राप्त जानकारी के आधार पर

E-ISSN No: 2456-6713 Print ISSN No: 3048-6459

International Educational Applied Research Journal

Peer-Reviewed Journal-Equivalent to UGC Approved Journal

A Multi-Disciplinary Research Journal

5- navbharattimes-indiatimes-com

6. नई दुंनियां

7. आदिम जाति कल्याण विभाग, जिला शिवपुरी से प्राप्त जानकारी के आधार पर

8. mpparikshadham@gmail-com

9. आदिम जाति कल्याण विभाग, जिला शिवपुरी से प्राप्त जानकारी के आधार पर